निदेशक सिद्धान्तों का अर्थ और उद्देश्य (Meaning and Objectives of Directive Principles) -

संविधान के चतुर्थ भाग में अनुच्छेद 36 से 51 तक निदेशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है। राज्य नीति के निदेशक सिद्धान्त देश की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश हैं, जो देश की शासन व्यवस्था के मौलिक तत्व है। दूसरे शब्दों में, निदेशक सिद्धान्त कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिए गए ऐसे निर्देश हैं जिनके अनुसार उन्हें अपने अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना होता है कि इन सिद्धान्तों का पूरा और उचित रूप से पालन हो। ये सिद्धान्त ऊंचे-ऊंचे आदर्शों की घोषणाएं हैं। ये सिद्धांत पथ-प्रदर्शन तथा ऊंची-ऊंची आकांक्षाओं के द्योतक हैं।

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार, राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों का उद्देश्य जनता के कल्याण को प्रोत्साहित करने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना है। इन निदेशक सिद्धान्तों की प्रकृति के सम्बन्ध में संविधान के अनुच्छेद 37 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस भाग (4) में दिए गए उपबन्धों को किसी भी न्यायालय द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, किन्तु विधि निर्माण में इन सिद्धान्तों का प्रयोग करना राज्य का कर्तव्य होगा। संविधान की प्रस्तावना में जिन उद्देश्यों को प्रकट किया गया है उन्हें व्यावहारिक रूप देने के लिए राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों को स्थान दिया गया है। ये सिद्धांत कार्यपालिका तथा विधानमण्डल के लिए निर्देश हैं कि उन्हें किस तरह शासन संचालन करना है।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, राज्य निति के निदेशक सिद्धान्त सन् 1935 के अधिनियम में जारी किए गए अनुदेश-पत्रों के समान ही हैं। बस अन्तर केवल यही है कि अधिनियम में गवर्नर-जनरल तथा गवर्नरों को निर्देशन दिए गए थे जबकि इस संविधान में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को निर्देश दिए गए है। प्रो. पायली के अनुसार, निदेशक सिद्धान्त भारतीय प्रशासकों के आचरण के सिद्धान्त है। जी. एन. जोशी के शब्दों में, "इन निदेशक सिद्धान्तों का विधानमण्डलों को कानून बनाते समय और कार्यपालिका को इन सिद्धान्तों को लागू करते समय ध्यान रखना चाहिए।

Avinash

Scanned with CamScanner

ये उस नीति की ओर संकेत करते है जिसका अनुसरण संघ और राज्यों को करना चाहिए। न्यायधीश केनिया के अनुसार, निदेशक सिद्धान्तों में राष्ट्र की बुद्धिमत्तापूर्ण स्वीकृति बोल रही है, जो संविधान सभा के माध्यम से अभिव्यक्त हुई थी। संक्षेप में, ये सिद्धान्त शासन की नीतियों को निर्दिष्ट करने के लिए विधान में निहित किए गए हैं, डॉ. पायली ने इसे आधुनिक संवैधानिक प्रशासन की एक नवीन विशेषता बतलाया है, जिसकी प्रेरणा इसें आयरिश संविधान से ही मिलती है। ये सिद्धान्त प्रजातन्त्रात्मक भारत का विधान-न्यास करते है। जब भारत सरकार इन्हें कार्यरूप में परिणत कर सकेगी तो भारत एक सच्चा लोककल्याणकारी राज्य कहला सकेगा।

इन आधारभूत सिद्धान्तों का उद्देश्य कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है। सामूहिक रूप से ये सिद्धान्त भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतन्त्र की रचना करते है। निदेशक सिद्धान्तों का वास्तविक महत्व इस बात का है कि ये नागरिकों के प्रति राज्य के दायित्व के द्योतक है। पुन: संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की गई है, ये उन आदर्शों की ओर बढ़ने के लिए पथ-प्रदर्शन का कार्य करते हैं। जिन आदर्शों की प्राप्ति भारतीय राज्य का लक्ष्य है, ये उन आदर्शों की गणना है।

Avinash

Scanned with CamScanner